यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **उपनिबन्धक, किच्छा (उधमसिंह नगर)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपनिबन्धक, किच्छा (उधमसिंह नगर) के माह 04/2016 से 03/2017 के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रमेश कुमार केशरी एवं श्री अजय कुमार मिश्रा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 27.07.17 से 04.08.17 तक श्री अशोक कुमार वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी0के0 गुप्ता एवं श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10.05.16 से 13.05.16 तक श्री राजकुमार लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2016 तक एवं व्यय हेतु माह - से - तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह - से - तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः - पूर्व-बरी, पश्चिम- चुकटी, उत्तर- वीरू नंगला, दक्षिण- जवाहर नगर
3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	81.22
2015-16	72.67
2016-17	78.89

(ii)(अ) बजट का विवरण:-

विगत दो वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (-)₹	बचत (-)₹
	स्थापना ₹	गैर स्थापना ₹	आवंटन ₹	व्यय ₹	आवंटन ₹	व्यय ₹		
लागू नहीं है (आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है)								

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+) ₹	बचत (-) ₹
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई राजस्व लेखापरीक्षा–'ए' श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव वित्त> महानिरीक्षक निबंधन> अतिरिक्त महानिरीक्षक> सहायक महानिरीक्षक/जिला निबंधक> उपनिबंधक

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में - को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपनिबन्धक, किच्छा (उधमसिंह नगर) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन** :- (राजस्व एवं व्यय हेतु अलग--अलग बताये)

राजस्वः माह 03/2017 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह ---------- को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य. शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम. 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम. 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग–2(ब)

प्रस्तर-1 स्टाम्प शुल्क कम लिये जाने से राजस्व क्षति ₹ 0.39 लाख ।

जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर द्वारा निर्गत दर सूची जो कि 16 जून, 2016 से प्रभावी थी, के अनुसार (क) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठानों की दर में सड़क की चौड़ाई के अनुसार निम्नवत् वृद्धि की जानी थीः-

i. 05 मीटर से अधिक किन्तु 12 मीटर से कम 5%
ii. 12 मीटर से अधिक किन्तु 15 मीटर से कम 10%
iii. 15 मीटर से अधिक किन्तु 18 मीटर से कम 15%

किन्तु 18 मीटर व इससे अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित सम्पत्ति पर वृद्धि से सम्बन्ध में उक्त दर सूची में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि पिछली दर सूची में उल्लेख था कि 18 मीटर व इससे अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित सम्पत्ति के निर्धारित मूल्य में 30% की वृद्धि की जायेगी ।

(क) बही सं0 1, विलेख संख्या 347 दिनांक 02.03.2017

विक्रेता का नामः- श्री नरेश कुमार व राजकुमार कालड़ा पुत्रगण श्री खानचन्द निवासी वार्ड नं0 2 किच्छा, जिला- ऊधमसिंह नगर ।

क्रेताः- श्री रोशनलाल पुत्र श्री हाकिम राम निवासी- वार्ड नं0 3, किच्छा, जिला- ऊधमसिंह नगर

सम्पत्ति स्थितः- वार्ड नं0 4 किच्छा, गाटा सं0 374 रकबा 50 वर्गमीटर, सर्किल दर- ₹ 35,000 प्रति वर्गमीटर, निर्माण दर ₹ 12,000, कवर्ड एरिया 90 वर्गमीटर, मालियत ₹ 35,94,000, स्टाम्प शुल्क ₹ 1,54,700 ।

₹ 13,050 (देय स्टाम्प शुल्क ₹ 1,67,750-लिया गया स्टाम्प शुल्क ₹ 1,54,700) कम स्टाम्प शुल्क लिया गया ।

(ख) विलेख सं0 401 (दाननामा) दिनांक 10.03.2017
मालियत ₹ 34,84,000
देय स्टाम्प शुल्क ₹ 34,840/- - लिया गया स्टाम्प शुल्क ₹ 31,000/- = ₹ 3,840 कम स्टाम्प शुल्क ।

(ग) विलेख सं0 1970 विक्रय विलेख दिनांक 26.08.2016

क्षेत्रफल 623 वर्गमीटर, निर्धारित दर 4,700/- + (30% की वृद्धि), मालियत ₹ 38,06,530/- ।

कम स्टाम्प शुल्क ₹ 21,777/- (देय स्टाम्प शुल्क ₹ 1,59,077/- - लिया गया स्टाम्प शुल्क ₹ 1,37,300/-)

कार्यालय उपनिबन्धक, किच्छा (ऊधमसिंह नगर) के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि उक्त विलेख पत्र में 18 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित सम्पति के दर सूची में उल्लेख न होने के कारण उक्त विलेखों में कम स्टाम्प शुल्क लिया गया है ।

उक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इकाई से पूछे जाने पर अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय से निर्देश प्राप्त किये जायेंगे ।

अतः स्टाम्प शुल्क ₹ 38,667/- कम लिये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-2 स्टाम्प शुल्क कम लिये जाने से राजस्व क्षति ₹ 0.30 लाख ।

विलेख सं0 1142 दिनांक 30.05.2016

भूमि स्थितः- खेत सं0 231 ग्राम- नजीबाबाद, तहसील- किच्छा, रकबा 5430 वर्गमीटर, मालियत ₹ 24,44,000/-, स्टाम्प शुल्क ₹ 91,700/- ।

विक्रेताः- श्री दमन सिंह व अमनदीप सिंह पुत्रगणश श्री बलदेव सिंह निवासीगण- ग्राम नजीमाबाद, तहसील- किच्छा, जिला- ऊधमसिंह नगर

क्रेताः- श्री रघुबीर सिंह पुत्र श्री वजीर सिंह निवासी- कलकत्ता फार्म, नजीमाबाद, तहसील- किच्छा, जिला- ऊधमसिंह नगर ।

कार्यालय उपनिबन्धक, किच्छा (ऊधमसिंह नगर) के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि उक्त विलेख पत्र में भारतीय सेना के जवानों को उतराखण्ड में सम्पत्ति क्रय करने पर स्टाम्प शुल्क में 25% की छूट दिया जायेगा । परन्तु क्रेता द्वारा सेना के जवान से सम्बन्धित कोई सूचना/पहचान पत्र संख्या विलेख में अंकित नहीं पायी गयी है । इस आधार पर क्रेता से 5% की दर से स्टाम्प शुल्क ₹ 1,22,200/- लिया जाना था । कम स्टाम्प शुल्क ₹ 30,500/- (₹ 1,22,200/- - ₹ 91,700/-) लिया गया ।

उक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि भारतीय सेना के जवानों को 25% स्टाम्प शुल्क में छूट परिचय पत्र के आधार पर दी गयी है । परन्तु उत्तर इस आधार पर मान्य नहीं है कि विलेख पत्र में परिचय पत्र संख्या अंकित नहीं पायी गयी एवं उसकी छायाप्रति भी उपलब्ध नहीं करायी गयी है ।

अतः ₹ 30,500/- कम स्टाम्प शुल्क लिये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

विगत प्रस्तरों की वर्तमान स्थितिः—

प्रतिवेदन सं0	अवशेष	
	भाग–2 'क'	भाग–2 'ख'
325 / 1991–92	1	–
242 / 1994–95	1	-
33 / 1995–96	1	–
26 / 2007–08	1	-
SR 48 / 2008-09	1,2	–
SR 23 / 2010–11	1	–
SR 21 / 2011-12	–	1
SR -09 / 2013–14	–	1 Stan-1|2
SR -02 / 2014–15		1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : लागू नहीं

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

व्यय से संबन्धित: - शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उपनिबन्धक, किच्छा (उधमसिंह नगर)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:
   (1) कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड द्वारा संपादित विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पत्रावली
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम स0	नाम	पदनाम
(i)	श्री सुधांषु त्रिपाठी	उप निबंधक 16.09.2015 से 24.12.2015 तक
(ii)	श्री अंबिका प्रसाद त्रिपाठी	प्रभारी उपनिबंधक 25.12.2015 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उपनिबन्धक, किच्छा (उधमसिंह नगर),** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

BS 29-08-17

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र